न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 215/2025

अनवान : –

1. सहबगिर पुत्र माईलालगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. माईलालगर पुत्र आसगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री माईलालगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक महोदय खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/12/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 269/220 के खसरा नं. 126/1 की 7.765 है० व खसरा नं. 47/2 की 2.263 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 10.0280 है० भूमि में से 11822/100280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या के नाम दर्ज हो गई जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा ठल ठपतजी त्पहीज है। रोही मौजा बालासर तहसील नोहर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कुल 10 बीघा कृषि भूमि थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा यानी 5.10 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर दी है इसलिए शेष भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 269/229 के खसरा नं. 126/1 की 7.765 है० व खसरा नं. 47/2 की 2.263 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 10.0280 है० भूमि में से 11822/100280 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम ब० हि० ब० दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी संख्या 1 समस्त भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अजनबी लोगो को रहन, बैय करना चाहता है और उपरोक्त भूमि फरोख्त करने की धमकी दे रहा है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित भूमि को रहन, बैय अथवा मुन्तकील निषिद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादी स0 1 ता 2 उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के नाम बची शेष भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 269/220 के खसरा नं. 126/1 की 7.765 है० व खसरा नं. 47/2 की 2.263 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 10.0280 है० भूमि में से 11822/100280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राज[illegible]र्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भू[illegible] पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई [illegible]स नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिए प्रतिवादी स0 1 के नाम बची शेष भूमि के वादी व प्रतिवादी स0 2 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा केवल कथन किया गया है अपने कथनों के समर्थन बैयनामा पेश नही किया गया है जिससे साबित हो की प्रतिवादी स0 1 द्वारा भूमि का बेचान किया गया हो अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 269/220 के खसरा नं. 126/1 की 7.765 है० व खसरा नं. 47/2 की 2.263 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 10.0280 है० भूमि में से 11822/100280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 215/2023
अनवान : –

1. साहबगिर पुत्र माईलालगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. माईलालगर पुत्र आसगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री माईलालगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक महोदय खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 215 सन 2023 निर्णय दिनांक 22/12/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के खाता संख्या 269/220 के खसरा नं. 126/1 की 7.765 है० व खसरा नं. 47/2 की 2.263 है० कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 10.0280 है० भूमि में से 11822/100280 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:48:53 IST
Reason: SelfAttested